न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 166 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. गोरखाराम पुत्र तुलछाराम 2. फुसाराम पुत्र तुलछाराम 3. ईन्दाराम पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. ताजाराम पुत्र मघाराम 2. चौखाराम पुत्र मघाराम 3. नारणाराम पुत्र मघाराम 4. जोधाराम पुत्र भैराराम 5. चेतनराम पुत्र भैराराम 6. बाबुलाल पुत्र भैराराम 7. मूलचन्द पुत्र भैराराम 8. मोहनलाल पुत्र भैराराम 9. लिखगाराम पुत्र भैराराम 10. खरथाराम पुत्र अचलाराम 11. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबंधक एस बी आई कवास 13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2021 बअनवान ताजाराम वगै. बनाम जोधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री दामोदरकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मनोज पारिक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. वकील श्री प्रेम प्रजापत रेस्पोडेण्ट संख्या 04 से 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उतरदाता संख्या 04 से 11 के खेत खसरा संख्या 231 रकबा 3.9722 हैक्टयर वाली भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता बता कर सड़क तक पहुंचने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। मूल आवेदन पेश करते

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

वक्त अपीलांटस पक्षकार भी नहीं थे। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो स्वयं ने मौके पर जाये बिना हल्का पटवारी एवं आर आई ने बिना अपीलांटस को सूचित किये एवं मौके पर न जाकर पटवार हल्का छीतर का पार में बैठ कर उतरदाता से सांठ–गांठ कर मौका रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 25.07.2022 को अपीलाधीन अंतिम आदेश से आवेदन स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मूल आवदेन पेश करते वक्त अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया। बाद में अपीलांटस को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नियत से पक्षकार संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश से अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया है। अपीलाधीन आदेश से जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया उस स्थान पर पूर्व में कभी भी रास्ता नहीं था। हरतगत प्रकरण में तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो स्वयं ने मौके पर जाये बिना हल्का पटवारी एवं आर आई ने बिना अपीलांटस को सूचित किये एवं मौके पर न जाकर पटवार हल्का छीतर का पार में बैठ कर उतरदाता से सांठ–गांठ कर मौका रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई। अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 232 रकबा 0.1780 हैक्टयर है जो सरकारी कटाण रास्ता नहीं है हल्का पटवारी व आर आई द्वारा गलत रिपोर्ट बना कर अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 653/232 में मार्क सी से डी मौका रिपोर्ट में अंकन किया है जो कटाण रास्ते में न मिलते हुए खातेदारी खेत खसरा संख्या 232 में जाता है। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का सागुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष को मौके पर बुलाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। मूल खसरा संख्या 232 का अपीलांटगण एवं उनके सहखातेदारों द्वारा वर्ष 2015 में आपसी सहमति से बंटवारा किया गया जिसमें खसरा संख्या 232 में वर्णित भूमि को संयुक्त रूप से रास्ते के रूप में रखा गया। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 04 से 11 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अपीलाधीन आदेश की पालना में रिकॉर्ड में अंकन भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.10.2022 को उस समय हुई जब तहसीलदार बायतु द्वारा जारी नोटिस प्रतिकर प्राप्त करने का डाक से मिला तब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2022 की जानकारी हुई तब दिनांक 28.10.2022 को नकले मांगी जो दिनांक 31.10.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को प्राप्त हुई तब अपीलाधीन आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली मौका फर्द 02.04.2022 के संलग्न नक्शे में प्रदर्शित बिन्दु संख्या ए से बी जो पूर्व में प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 को प्रस्तुत की गई थी में रास्ता प्रस्तावित किया गया था उस वक्त मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं था परन्तु आज दिनांक 02.04.2022 को वक्त मौका जांच मौके पर कमरा बना हुआ पास में कुर्सी भरी हुई चीणों के टुकड़े रोपे हुए एवं टांका मय आगोर बना हुआ पाया गया। इस कारण बिन्दु संख्या सी से डी तक मौके पर वर्तमान में भूमि खाली पड़ी है जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया। मूल खसरा संख्या 232 का अपीलांटगण एवं उनके सहखातेदारों द्वारा वर्ष 2015 में आपसी सहमति से बंटवारा किया गया जिसमें वर्तमान खसरा संख्या 232 में वर्णित भूमि को संयुक्त रूप से रास्ते के रूप में रखा गया। खसरा संख्या 232 में मौके पर चल रहे रास्ते के अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के अनुसार फॉटो पेश किये गये। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2021 बअनवान ताजाराम वगै. बनाम जोधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(हरिओम सिंह पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर